लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Proj/165/20/153 **दिनांक :** 03, 07, 2020

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार ।

विषय : **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत ODF+ बेसलाईन आकलन संबंधित दिशा-निर्देश के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण भारत में ODF+ की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हर गाँव में इस वर्ष बेसलाईन (प्रारंभिक अवस्था) का Assessment 15 जुलाई, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक कराया जाना है। इसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक गाँव में ODF का स्थायीकरण एवं ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति से अवगत होना है। इस संबंध में राज्य स्तर पर एक दिशा-निर्देश तैयार किया गया है जो सुलभ प्रसंग हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न दिशा-निर्देश के आलोक में कार्य किए जाने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को निदेशित करने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

03/07/2020

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/165/20/153 **दिनांक :** 03, 07, 2020

प्रतिलिपि : सभी जिला समन्वयक/जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।

03/07/2020

(राजीव कुमार सिंह)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज II के अंतर्गत ODF प्लस बेसलाईन आकलन सम्बंधित दिशा निर्देश

ग्रामीण भारत में ODF प्लस की वर्तमान स्थिति का आकलन लगाने के लिए पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हर गाँव में इस वर्ष बेसलाईन (प्रारंभिक अवस्था) का आकलन 15 जुलाई से शुरू कर 31 अगस्त 2020 तक कराया जाना है। इसके द्वारा राज्य के हर गाँव - गाँव में ODF का स्थायीकरण और ठोस-तरल अपशिस्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाना है।

ODF प्लस वह गाँव है जो सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त है और इसके साथ ही वहां ठोस और तरल अपशिस्ट प्रबंधन की एक व्यवस्था है और जो गाँव देखने में साफ-सुथरा है। इसके अंतर्गत गाँव के सभी घरों, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की उपलबध्ता और गाँव के कम से कम 80% घरों के ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन की व्यवस्था शामिल है।

1. बेसलाईन (प्रारंभिक अवस्था) आकलन करने कि रूप रेखा :

राज्य के हर जिले, हर प्रखंड, हर पंचायत और सभी गाँव में ODF का स्थायीकरण और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए यह बेसलाईन आकलन प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत वैसे सभी सामुदायिक और व्यक्तिगत SLWM संपत्ति जिनका निर्माण केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अन्य योजना / स्व निर्मित आदि के द्वारा 31 मई 2020 तक हुआ है, उन्हें ODF प्लस मोबाइल एप्प के द्वारा संग्रहित किया जाना है।

यह सर्वेक्षण निम्नलिखित सूचक कीं उपलबध्ता की जानकारी लेने और सामुदायिक सम्पतिओं का जिओ टैगिंग करने पर आधारित है :

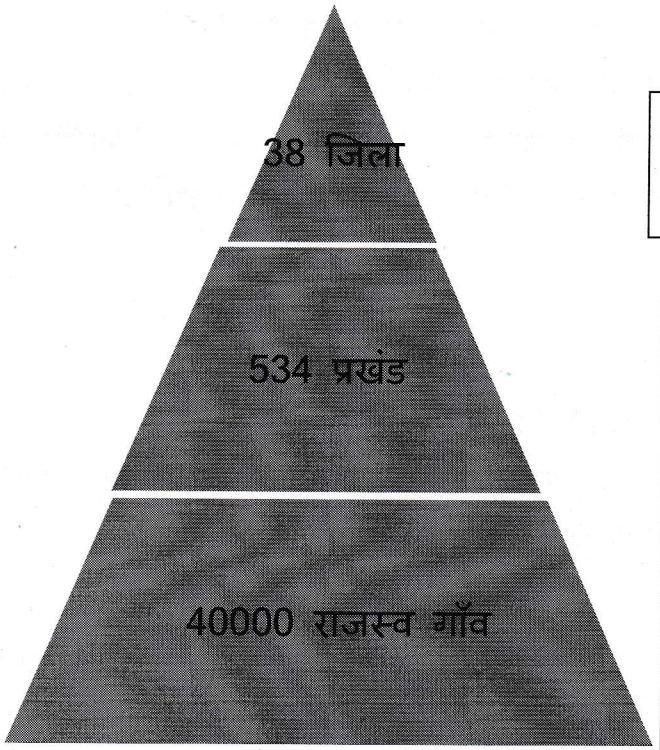

जिला स्तर पर मल कीचड़ प्रबंधन की व्यवस्था के लिए :
- **मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) / प्लांटेड ड्राइंग बेड/कतार में गहन खायीं**
- **गोबर्धन संयंत्र की संख्या**

प्रखंड स्तर पर :
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संयंत्र

गाँव में ODF प्लस के विभिन्न घटकों की संख्या :
- **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC)**
- **सामुदायिक / घरेलु स्तर पर कम्पोस्ट पिट, बायो गैस संयंत्र**
- **सामुदायिक / घरेलु स्तर पर सोकपिट / लीच पिट / मैजिक पिट / अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब (WSP) / विकेंद्रीकृत अपशिष्ट संसाधन सिस्टम (DEWATS)**
- **अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण शेड**
- **तीन या चार पहिया संग्रहण और परिवहन वाहन**

इसके अलावा घरेलु स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सुगमता और घरों के ठोस और तरल अपशिस्ट प्रबंधन की व्यवस्था सम्बंधित जानकारियों का आकलन लगाया जाना है ।

उपरोक्त सभी सूचकांकों की सही जानकारी लेने के बाद उन्हें ODF प्लस मोबाइल एप्प पर अपलोड करना है । इस एप्प को दिए गए लिंक http:ll sbm.gov.in l odfplus l home.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है ।

2. ODF प्लस बेसलाईन आकलन करने के लिए दल का गठन (Field Team Formation)

ODF प्लस बेसलाईन आकलन के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम हर जिले को जिला स्तरीय टीम का गठन करना है । इस टीम में जिले में स्थित्त CB / IEC सलाहकार, SLWM सलाहकार, SRP आदि हो सकते हैं । इस टीम के समन्वयन की जिम्मेदारी जिला समन्वयक की होगी । प्रखंड स्तरीय टीम में प्रखंड समन्वयक, DRP, IMIS में रजिस्टर्ड स्वच्छाग्रही या कोई भी उपयुक्त प्रखंड / पंचायत कर्मी शामिल हो सकते हैं । प्रखंड स्तरीय टीम का नेतृत्व और समन्वयन की जिम्मेदारी प्रखंड समन्वयक की होगी । प्रखंड समन्वयक द्वारा प्रखण्ड में स्थित जिला संसाधन सेवी, IMIS में रजिस्टर्ड स्वछाग्रही या प्रखंड / पंचायत में स्थित सरकारी कर्मी की उपलब्धता अनुसार तय समय सीमा के अन्दर कार्य संपन्न करा लेने के उदेश्य से प्रयाप्त संख्या में मानव बल का निर्धारण कर सूचि जिला को उपलब्ध करायी जाएगी । जिला द्वारा यह सूचि तत्काल राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी ।

3. बेस लाईन आकलन में शामिल टीम का प्रशिक्षण (Training of Field Team)

जिला स्तरीय टीम को बेसलाईन आकलन का कार्य पूरे जिले में सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य की टीम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा । उन्हें, संक्षेप में ODF प्लस के विभिन्न घटक से परिचय कराते हुए ODF प्लस बेसलाईन आकलन से सम्बंधित सभी पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी और उनके सभी संदेहों का निराकरण किया जाएगा । राज्य की टीम द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद जिला की टीम द्वारा जिले में स्थित सभी प्रखंड स्तरीय टीम को प्रशिक्षण दिया जाएगा । इस कार्य को 15 जुलाई तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया है ।

4. समय सीमा :

बेसलाईन आकलन का कार्य 15 जुलाई से शुरू कर 31 अगस्त 2020 तक पूर्ण किया जाना है । किसी भी गाँव में बेसलाईन आकलन पूर्ण करने में लगने वाला समय उस गाँव में घरों की संख्या पर निर्भर करता है मगर औसतन 1000 घरों से युक्त गाँव में यह कार्य पूर्ण करने में 2 सदसीय टीम को अधिकतम 2 दिन का समय अपेक्षित है ।

5. बेसलाईन आकलन की शुरुआत से पहले

हर टीम जो सर्वे कार्य में भाग लेगी उसमें 1 से 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं । टीम के सभी सदस्यों को बेसलाईन आकलन करने वाले गाँव के साथ मैप किया जाएगा । जिला द्वारा टीम के सभी सदस्यों को सर्वप्रथम IMIS मोडयूल संख्या M10 में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा । इसके पश्चात, जिला लॉग-इन में स्थित मोड्यूल संख्या M09 द्वारा अप्रूव किया जा सकेगा । अप्रूवल के बाद मोड्यूल संख्या M08 द्वारा फील्ड सर्वेक्षक को बेसलाईन आकलन करने वाले गाँव का

आवंटन किया जा सकेगा । एक टीम अगर किसी पंचायत में स्थित सभी गाँव में सर्वे पूर्ण कर लेती है तो इसके बाद वह दूसरे पंचायत में यही कार्य आरम्भ कर सकती है । हर टीम के एक सदस्य द्वार किसी गाँव से प्राप्त सभी डाटा को मोबाइल एप्प में अपलोड किया जाएगा ।

6. लक्षित सूचना की प्राप्ति (Target Respondents) :

हर गाँव / टोला में आकलन आरम्भ करने के पूर्व सर्वप्रथम उस गाँव से सम्बंधित आधारभूत जानकारी इकठा करनी है जिसके द्वारा ODF प्लस से सम्बंधित सामुदायिक सम्पतियों का ब्यौरा, उनके खर्च के श्रोत का ब्यौरा इत्यादि का पता लगाया जा सके । इसके लिए उपलब्धता और सुविधा अनुसार निम्नलिखित में से कम से कम किन्ही दो लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचना एकत्रित किया जाना चाहिए :

मुखिया / पंचायत सेवक / वार्ड सदस्य / पंचायत रोजगार सेवक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / आशा / विकास मित्र / स्वच्छाग्राही / गाँव के जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यगण / विद्यालय के शिक्षक या कोई भी लम्बे समय से गाँव में रहने वाला व्यक्ति ।

7. डाटा कलेक्शन और बेसलाईन आकलन करने के विभिन्न चरण

चरण । : गाँव से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना संग्रह और टोला का विभाजन

सर्वप्रथम टीम के सदस्यों को गाँव में उपस्थित मुखिया / पंचायत सेवक / वार्ड सदस्य / पंचायत रोजगार सेवक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / आशा / विकास मित्र / स्वच्छाग्राही / गाँव के जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यगण / विद्यालय के शिक्षक आदी से संपर्क स्थापित कर उस गाँव से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे घरों की संख्या, आबादी, मवेशियुक्त घरों की संख्या, टोलों की संख्या, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्मित सार्वजानिक संपत्ति, सार्वजानिक स्थान जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन आदि की जानकारी प्राप्त करनी है । इसके साथ ही सामुदायिक सम्पतियों को दर्शाता हुआ गाँव का एक नजरी नक्सा भी सूचना प्रदाता की सहायता से तैयार कर लेनी है । इन सभी जानकारी को मोबाइल एप्प पर अपलोड करना है और सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लेनी है ।

इसके बाद गाँव के आकार और टीम के सदस्यों की संख्या के अनुरूप आपस में टोला का विभाजन कर आकलन का कार्य प्रारंभ कर देना है ।

चरण ॥ : टोला का दौरा और सभी सामुदायिक सम्पतियों (community assets) का जिओ टैगिंग

गाँव से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना संग्रह के बाद सर्वे दल अपने अपने निर्धारित टोलों में ODF प्लस के विभिन्न घटक से सम्बंधित सामुदायिक सम्पतियों का पता लगाने और उनका जिओ टैगिंग करने के लिए निकल जाएगी । इसके बाद गाँव में स्थित सामुदायिक स्वच्छता परिसर, कम्पोस्ट पिट, सोक पिट, WSP, नालियों आदि को चिन्हित कर उनका जिओ टैगिंग भी करती जाएगी । जिन घरों में व्यक्तिगत सोकपिट, कम्पोस्ट पिट, बायो गैस संयंत्र आदि हैं उन्हें भी सर्वे में शामिल करना है । (उनके जिओ टैगिंग की आवश्यकता नहीं) सभी टोलों से प्राप्त आकड़ों को एक साथ मिलाकर

गाँव का आकड़ा तैयार किया जा सकता है और CSC, सामुदायिक SLWM सम्पतियों द्वारा लाभान्वित होने वाले घरों की संख्या का पता लगाया जा सकता है ।

चरण III : घरेलु स्तर पर उपलब्ध ODF प्लस के विभिन्न सूचकांकों का मानचित्रण

घरेलु स्तर पर SLWM से सम्बंधित सुविधाओं का पता लगाने के लिए टीम को हर टोला से 5 घर का रैंडम चयन कर प्राप्त सूचना को मोबाइल एप्प पर अपलोड करना है । इसके लिए घर के आस पास के जगह का निरिक्षण और घर के सदस्यों से सूचना प्राप्त करना शामिल है ।

व्यवस्थित नमूना प्रणाली के आधार पर घरों का चयन :

घरेलु स्तर पर SLWM से सम्बंधित सुविधाओं का पता लगाने के लिए व्यवस्थित नमूना प्रणाली द्वारा प्रत्येक गाँव से 5 घर का चयन किया जाएगा । गाँव के उत्तर पश्चिम दिशा से बढ़ते हुए प्रत्येक N / 5th घर को इसके लिए चुना जाएगा, जहाँ N गाँव में स्थित कुल घरों की संख्या का धोतक है ।

उदाहरण के लिए अगर किसी गाँव में कुल घरों की संख्या 200 है तो N = 200 और N / 5th यानी 40 वां, 80 वां, 120 वां, 160 वां, और 200 वां घर को नमूना के लिए शामिल किया जा सकता है । अगर नमूना प्रणाली के आधार पर चयनित घर बंद पाया जाता है तो इस परिस्थिति में उसके बगल / पास के घर को शामिल किया जा सकता है ।

चरण IV : डाटा संकलन और रिपोर्टिंग

गाँव के हर टोले से सूचना संग्रहण करने के बाद टीम के सदस्यों द्वारा इसे गाँव स्तर पर संकलन करना है ताकि मोबाइल एप्प पर गाँव स्तरीय सूचना अपलोड किया जा सके ।

संकलन और रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए :

- गाँव के हर टोले से प्राप्त सूचना को टीम के सभी सदस्यों द्वारा संकलन किया जाए और इसके बाद संकलित सूचना को ODF प्लस मोबाइल एप्प पर प्रविष्ट करायी जाए ।
- फील्ड टीम के द्वारा गाँव के सभी प्रकार के ODF प्लस से सम्बंधित सामुदायिक परी-संपत्तियों का ODF प्लस मोबाइल एप्प पर प्रविष्टीयाँ ।
- सभी प्रकार के सामुदायिक परी-संपत्तियों का जिओ टैगिंग होना चाहिए और इनसे लाभान्वित होने वाले घरों की संख्या भी मोबाइल एप्प पर प्रविष्ट होना चाहिए ।
- एक गाँव से प्राप्त जानकारी को मोबाइल एप्प में प्रविष्ट करने के लिए IMIS के मोड्यूल M10 में फील्ड टीम से रजिस्टर्ड केवल एक सदस्य की जिम्मेदारी होगी ।

8. जिला स्तर पर मल कचड़ा प्रबंधन, प्लास्टिक और गोबरधन की जानकारी प्राप्त करने हेतु :

जिला स्तर पर स्थित मल शोधक संयंत्र (STPs), मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTPs), प्लास्टिक कचड़ा प्रबंधन संयंत्र और गोबरधन संयंत्र आदि की जानकारी भी प्रविष्ट करनी है । इन सूचनाओं को ODF मोबाइल एप्प पर प्रविष्ट कराने का कार्य जिला टीम में शामिल SRP / जिला सलाहकार / जिला समन्वयक / प्रभारी जिला समन्वयक की है जिन्हें अलग से मोबाइल एप्प पर रजिस्टर करना होगा । इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला समन्वयक / प्रभारी जिला समन्वयक की है ।

9. गुणवत्ता नियंत्रण और रिपोर्टिंग :

विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में जिला के उप विकास आयुक्त / निदेशक - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / जिला समन्वयक (SBM) में से किसी एक को जिला नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है जिनके द्वारा सही रिपोर्टिंग और सभी गाँव से प्राप्त बेसलाईन डाटा को मोबाइल एप्प के द्वारा IMIS में प्रविष्टी सुनिश्चित की जाएगी । किसी प्रखंड के द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं को सम्बंधित जिला प्राधिकारी द्वारा जिला लॉग इन से अनुमोदन प्रदान की जाएगी । तय समय सीमा पर इस कार्य को पूर्ण करना आवश्यक होगा ।

इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण डेटा सुनिश्चित करने हेतु जिला समन्वयक / अधिकारी द्वारा 2% गाँव को प्रति निरिक्षण किया जाएगा । प्रति निरिक्षण के क्रम में यदि त्रुटी पायी जाती है तो आवश्यक कार्यवाई के लिए इसकी सूचना जिला प्रशासन को दिया जाना चाहिए ।

10. जिला स्तरीय टीम निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

1) संगृहीत डेटा की गुणवत्ता
2) ODF प्लस बेसलाईन आकलन करने वाली टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उनका क्षेत्र प्रबंधन ।
3) प्रशिक्षण के उपरांत मानव बल की दक्षता और निपुणता
4) क्षेत्र टीम की कुल जवाबदेही
5) पारदर्शिता और लचीलापन
6) कार्य समाप्त करने की तय समय सीमा

11. ODF बेसलाईन आकलन में शामिल फील्ड कर्मी के लिए परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशी का विवरण :

प्रत्येक गाँव में बेसलाईन आकलन करने के लिए टीम, टोला और दिन का निर्धारण			
घरों की संख्या युक्त राजस्व गाँव	टोलों की संख्या	टीम के सदस्यों की संख्या	प्रत्येक गाँव के लिए अपेक्षित दिन की संख्या
200 से कम घर	1	1	1
201 से 500 घर	2	1	2
501 से 1000 घर	3 - 5	2	2
1001 से 2000 घर	5 - 10	3	2
2000 से अधिक घर	10 से अधिक	4	3

बेसलाईन आकलन में शामिल एक टीम के एक सदस्य को एक दिन में 150 - 200 घरों से युक्त गाँव में सर्वे का कार्य पूर्ण करने के लिए 250 रुपया दिया जा सकता है । इसी प्रकार 200 से 500 घरों से युक्त गाँव में कार्य पूरा करने के लिए एक सदस्य को 2 दिन का समय या दो सदस्य को एक दिन का समय अपेक्षित है । 500 से 1000 घरों से युक्त गाँव में कार्य पूर्ण करने के लिए एक सदस्य को 2 - 4 दिन और दो सदस्य को 1- 2 दिन का समय अपेक्षित है ।

इसी प्रकार अधिक घरों की संख्या से युक्त गाँव में कार्य पूर्ण करने के लिए टीम के सदस्य की संख्या के अनुसार दिन और प्रोत्साहन राशी की गणना की जा सकती है । यह राशी यात्रा, भोजन, विश्राम आदि सभी खर्चों को समाहित करता है । यह परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशी, ODF बेसलाईन सर्वे करने में शामिल सदस्यों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को मोबाइल एप्प के द्वारा 100 % IMIS में दर्ज करने के पश्चात राज्य IEC फण्ड के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा ।